

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

No.: L-201	22
AD	JD/ID
Section	
Date	21 JUN 2024 C.H.E

क्रमांक एफ 3-54/स्था./2020/38-1,
प्रति.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़.
विषय:- उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने बाबत।

राज्य शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति-2024 को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त नीति पर दिनांक 19 जून, 2024 (आयटम क्रमांक 10.06) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतः अतिथि व्याख्याता नीति-2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
2/ निर्देशानुसार उक्त नीति में दी गई व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।
(पृ. 01 से 19 तक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कीर्तिवर्धन उपाध्याय)

अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024

पृ.क्रमांक एफ 3-54/स्था./2020/38-1,
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
3. महालेखाकर, रायपुर, कार्यालय रायपुर, (छ.ग.)
4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
5. विशेष सहायक, मा. मंत्री उच्च शिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
6. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर
7. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, (न्यायालयीन शाखा) मंत्रालय
7. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग (छ.ग.)
8. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, (छ.ग.)
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
- ✓ 10. वेब साईट में अपलोड हेतु
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश फोल्डर,

अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) – 2024

1. प्रस्तावना :-

वर्तमान में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के नियमित पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का अध्यापन, प्रायोगिक, खेल-कूद, पुस्तकालय एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। अतः कक्षाओं में अध्यापन कार्य तथा पुस्तकालय एवं खेल-कूद संबंधी कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु यह नीति प्रस्तावित है। इस नीति के तहत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध होने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जा सकेगी एवं निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था की जा सकेगी।

इस नीति में आगे की कंडिकाओं में अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक तथा अतिथि क्रीड़ा सहायक को संबोधन हेतु "अतिथि व्याख्याता एवं अन्य" उल्लेखित किया जायेगा। इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित रिक्त पद का तात्पर्य सीधी भर्ती के रिक्त पद से होगा। यह नीति छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों के लिये वर्ष 2024-25 के शिक्षा सत्र से लागू होगी तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

2. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए रिक्त पदों की गणना :-

- 2.1 स्वीकृत नियमित प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक रख सकते हैं, इनके लिए पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं होगा।
- 2.2 प्रत्येक शिक्षा सत्र में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों के स्वीकृत पदों क्रमशः प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या उस शिक्षा सत्र के लिए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए रिक्त पदों की संख्या मानी जायेगी।
- 2.3 किन्तु सभी रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन जारी करना अनिवार्य नहीं होगा अपितु अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड एवं निर्धारित वर्कलोड के अनुसार विज्ञापन जारी किया जायेगा।



2. विज्ञापन आमंत्रण की प्रक्रिया :-

- 3.1 अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की व्यवस्था हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें 05 से 06 सदस्य सम्मिलित होंगे। समिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य/वरिष्ठतम शिक्षक अध्यक्ष होंगे, एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग से होंगे। यदि उपरोक्त श्रेणी के सदस्य कार्यरत न हों तो छूट प्राप्त होगी।
- 3.2 समिति द्वारा रिक्त पदों की गणना कर, विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन तैयार किया जायेगा।
- 3.3 रिक्त पदों हेतु जारी किये जाने वाला विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा (प्रारूप-1) जिसे राज्य स्तरीय 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा। इसके अतिरिक्त विस्तृत विज्ञापन (परिशिष्ट-1 अ) का प्रकाशन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट (महाविद्यालयों की वेबसाइट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट) में किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.4 आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही के लिए सॉफ्टवेयर/ऐप तैयार किया जायेगा। सॉफ्टवेयर/ऐप तैयार होने तक आवेदनकर्ता निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन संबंधित संस्था में पंजीकृत/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर, पावती प्राप्त करेंगे। आवेदन लेने संबंधी किसी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत होने पर संबंधित संभागीय क्षेत्रीय अपर संचालक को निवारण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। जिसका निराकरण संभागीय क्षेत्रीय अपर संचालक के द्वारा शिकायत प्राप्ति के 03 दिवस में किया जायेगा।
- 3.5 यदि किसी संस्थान में एक ही विषय के प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के एक से अधिक रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है तो उक्त विषय हेतु अभ्यर्थी एक ही आवेदन उक्त संस्थान में करेंगे, पृथक-पृथक नहीं। संबंधित विषय की मेरिट सूची में वरीयता के क्रमानुसार ही प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर व्यवस्था की जायेगी।

4. आवेदन पत्रों का संचारण, परीक्षण एवं वरीयता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-

- 4.1 विज्ञापन अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को समिति द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर पंजी को सत्यापित किया जायेगा।
- 4.2 समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करके कंडिका-06 के प्रावधान अनुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

4.3 मेरिट सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाइट में किया जायेगा। प्रकाशन दिनांक से 03 दिन के भीतर दावा-आपत्ति आमंत्रित की जायेगी, जिसका निराकरण समिति द्वारा 02 दिवस में किया जायेगा।

4.4 अंतिम सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर किया जायेगा तथा संबंधितों को भी सूचित किया जायेगा।

4.5 इनके लिये शैक्षणिक/ग्रंथालय संचालन/क्रीडा संबंधित अनुभव का लाभ का प्रावधान होगा। अनुभव प्राप्त करने के लिये एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 05 माह कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

4.6 यदि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की विगत सत्र में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या आवेदित महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन एवं अन्य किसी प्रकार की शिकायत सही पाये जाने/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में सेवायें समाप्त की गई हो तो उनके आवेदन पर आगामी दो शैक्षणिक सत्रों तक विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

5.1 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

5.2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-5.1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5.3 आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

5.4 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

8

मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण :- अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा -

(अ) इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ - कुल अंक - 240
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 100 अंक प्रदर्शन एवं साक्षात्कार हेतु)

(ब) शोभ राजकीय विश्वविद्यालयों हेतु - कुल अंक - 160
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 20 अंक साक्षात्कार हेतु)

(स) महाविद्यालयों हेतु - कुल अंक - 140
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक)

6.1 पी-एच.डी./नेट/सेट/एम.फिल के लिये अधिकतम 50 अंक

(क) पी-एच.डी. के लिए

(ख) नेट/सेट के लिए

(ग) एम.फिल. के लिए

- 30 अंक

- 20 अंक

- 15 अंक

6.2 स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक -

(55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा)

6.3 शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक -

(पी-एच.डी./एम.फिल.में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़कर यूजीसी केयर जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र पर 02 अंक)

6.4 अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक -

शासकीय महाविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर

- 05 अंक

6.5 अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :-

श्रेणी- 1 संबंधित विषय में पी-एच.डी.

श्रेणी- 2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण

श्रेणी- 3 संबंधित विषय में एम.फिल. धारक

6.6 अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक :-

अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

2.7 विशेष टीप :-

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में सर्वप्रथम अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जावेगी। श्रेणी-1 के अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो क्रमशः श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जाएगा। उक्त तीनों श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर हेतु शेष अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जायेगा।
2. अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के अंतर्गत न्यूनतम अर्हता (स्नातकोत्तर में निर्धारित प्रतिशत) से न्यून अर्हता प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर गुणानुक्रम के आधार पर विचार कर चालू शैक्षणिक सत्र के लिए अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। किन्तु यह व्यवस्था योग्य अभ्यर्थी मिलने पर अथवा केवल चालू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रभावशील होगी।
- 6.8 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा यदि चालू शिक्षा सत्र में उच्च शैक्षणिक अर्हता अर्जित की जाती है तो समिति द्वारा संबंधित मार्कशीट/उपाधि का सत्यापन करने के दिनांक से वरीयता क्रम में संशोधन एवं बड़े हुए मानदेय के लाभ की पात्रता होगी। इस हेतु संस्था प्रमुख के समक्ष प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.9 सत्र के मध्य में नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण विस्थापित अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को संस्था प्रमुख द्वारा विस्थापन प्रमाण-पत्र के साथ उस सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।
7. प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अभिलेखीकरण :-
 - 7.1 चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
 - 7.2 चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र (परिशिष्ट-2) देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
 - 7.3 कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण में अभिलेख सही पाये जाने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

8. सेवा समाप्ति :-

- 8.1 शिक्षा सत्र के दौरान किसी विषय के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना की स्थिति में उक्त विषय के अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी एवं ऐसी स्थिति में श्रेणी-1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता/अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी विस्थापित श्रेणी में माने जायेंगे।
- 8.2 यदि प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के एक ही विषय के विरुद्ध एक से अधिक अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से एक पद भरे जाने की स्थिति में उस विषय में मेरिट लिस्ट में कनिष्ठ अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। यदि मेरिट लिस्ट में दो या दो से अधिक कनिष्ठ अतिथि व्याख्याताओं को समान अंक प्राप्त है तो आयु में कनिष्ठतम अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी।
- ✓ 8.3 इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर इनको 07 दिवस का कारण बताओं सूचना जारी किया जायेगा एवं उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा इनकी व्यवस्था समाप्त करने की सूचना जारी की जायेगी।
- 8.4 जिन विषयों के अतिथि का मूल्यांकन निरंतर 03 बार संतोषजनक नहीं पाया जायेगा उन्हें आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्यवस्था की जायेगी।
- ✓ 8.5 इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो किसी भी समय इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- ✓ 8.6 आवेदक यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी व्यवस्था स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- ✓ 8.7 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा बिना सूचना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी। इस आशय की लिखित सूचना प्राचार्य द्वारा संबंधित को जारी की जायेगी। सूचना देकर अवकाश में रहने की स्थिति में प्रकरण का निराकरण प्राचार्य के विवेकाधीन होगा।

9. विस्थापन की व्यवस्था :-

किसी संस्थान में नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत श्रेणी-1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को विस्थापित की श्रेणी में माना जायेगा।

- 9.1 विस्थापित को अपने पूर्व संस्थान से विस्थापन एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं अनुभव संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-3) कार्यरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी किया जायेगा।

- 9.2 नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से प्रभावित होने पर श्रेणी-1, 2 एवं 3 के विस्थापित अभ्यर्थी उसी जिले के अन्य संस्थान में एवं उस जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी संभाग के अन्य जिले में एवं संभाग में रिक्त नहीं होने की स्थिति में राज्य के अन्य जिले में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 9.3 प्रत्येक शिक्षा सत्र में 01 जून की स्थिति में महाविद्यालयवार एवं विषयवार रिक्तियों की जानकारी प्रत्येक महाविद्यालय (स्वयं का), अग्रणी महाविद्यालय (जिले के समस्त महाविद्यालयों का) एवं विभाग (राज्य के समस्त महाविद्यालयों का) की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। विस्थापित अतिथि व्याख्याता निर्धारित प्रारूप अनुसार आवेदन, पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी विस्थापन प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ अधिकतम 03 महाविद्यालयों में 15 जून तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सत्र के मध्य में भी किसी विस्थापित व्याख्याता द्वारा किसी भी महाविद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना विज्ञापन जारी किये विस्थापित व्याख्याता की सेवाएं ली जा सकेंगी।
- 9.4 प्रत्येक महाविद्यालय में जिन रिक्त पदों के लिए विस्थापित श्रेणी के आवेदकों से आवेदन प्राप्त होंगे उन पदों पर अतिथि की व्यवस्था हेतु विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा। यदि एक ही विस्थापित का आवेदन प्राप्त होता है तो उसे इस व्यवस्था के अंतर्गत लिया जायेगा किन्तु एक से अधिक विस्थापितों के आवेदन की स्थिति में उनकी परस्पर वरीयता अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त विस्थापित को इस व्यवस्था अंतर्गत लिया जायेगा। परस्पर वरीयता का निर्धारण कंडिका-06 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 9.5 श्रेणी-1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी के लिये नियमित पदस्थापना होने तक एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा एवं उसी संस्थान में अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जायेगा।
- 9.6 जिन संस्थानों में अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की सेवाएं ली जाती हैं उन संस्थानों में प्रत्येक नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जायेगा एवं अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की उपलब्धता होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के स्थान पर रखा जा सकेगा अन्यथा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की सेवाएं यथावत ली जायेगी।
- 9.7 अधिसूचित क्षेत्र की जिन शिक्षण संस्थानों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि में 55 अथवा 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक को शिथिल करते हुए अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था की गई है, में भी नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जाकर कंडिका-06 अनुसार वरीयता सूची अनुसार व्यवस्था की जायेगी।



0. मानदेय :- अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400 / -	300 / -
चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 / -	1200 / -
60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	(41,600 / - प्रतिमाह अधिकतम)	(30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)
60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	500 / -	350 / -
	2000 / -	1400 / -
दैनिक मानदेय	(50,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)	(35,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)
विवरण	अतिथि ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक / अतिथि क्रीडा सहायक
दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600 / - प्रतिदिन (40,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / - प्रतिदिन (30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)

10.1 प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जायेगा।

10.2 अतिथि ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक / क्रीडा सहायक के लिए प्रतिदिन 07 घंटा कार्य किया जाना अनिवार्य है।

10.3 महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु शैक्षणिक कालखंडों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के समुचित एवं बहुमुखी विकास की दृष्टि से अन्य गतिविधियों का संचालन एवं कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य से अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, विभिन्न योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी सहयोग लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे।

10.4 कंडिका 10.3 में दर्शित विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त कार्यों के लिये प्रति कार्य दिवस 01 कालखंड मानकर माह में अधिकतम 20 कालखंडों का भुगतान किया जायेगा।

10.5 अतिरिक्त कार्यों के लिये अतिथि व्याख्याता को प्रति कार्य दिवस 400 / - रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 8000 / - रु. देय होगा किन्तु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड हेतु मानदेय एवं अतिरिक्त कार्यों हेतु मानदेय को मिलाकर रु. 50,000 से अधिक का मासिक भुगतान नहीं किया जायेगा अर्थात् मासिक भुगतान की अधिकतम सीमा 50,000 रु. होगी। अतिथि शिक्षण सहायक को प्रति कार्य दिवस 300 / - रु. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 6000 / - रु. देय होगा।

10.6 अतिरिक्त कार्यों के लिए मानदेय प्रति माह दिये जाने वाले अध्यापन कालखंड के अधिकतम मानदेय के अतिरिक्त देय होगा।

अवकाश सुविधा:-

- 11.1 पी-एच.डी. हेतु कोर्स वर्क/शोध-ग्रंथ कार्य पूर्ण करने के आवेदन पर आका अवैतनिक पी-एच.डी. अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- 11.2 प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अधिकतम 180 दिवस के लिये दिये जायेंगे। प्रसू अवकाश अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्था द्वारा उक्त अवधि का अवैतनिक प्रसूति अवकाश (अतिथि) स्वीकृत किया जायेगा।
- 11.3 अधिकतम 180 दिवस से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को पुनः उसी महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी किन्तु नया विज्ञापन प्रकाशित होने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन की पात्रता होगी।
- 11.4 उक्त अवधि के दौरान अध्ययन-अध्यापन के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रतीक्षा सूची से अन्य वैकल्पिक व्याख्याताओं की व्यवस्था इस शर्त पर की जायेगी कि अवकाश में गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश उपरान्त वापस कार्यभार ग्रहण करने पर वैकल्पिक व्याख्याता को उनके कार्य से स्वतः कार्यमुक्त माना जायेगा।
- 11.5 वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एवज में मानदेय एवं 01 शिक्षा सत्र में 05 माह तक अध्यापन पूर्ण करवाने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता होगी किन्तु विस्थापित श्रेणी की पात्रता नहीं होगी। अवकाश पर प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा अधिकतम 180 दिवस अवकाश का उपभोग के पश्चात् निर्धारित तिथि पर कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा यदि वैकल्पिक व्याख्याता से आगे भी अध्यापन कार्य निरंतर रखा जाता है तब ऐसे वैकल्पिक व्याख्याताओं को विस्थापित श्रेणी की भी पात्रता होगी।
- 11.6 वैकल्पिक व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-4) देना होगा।
- 11.7 पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश लेने वाले अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य को उस अवधि के अनुभव का लाभ प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

12. विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधी :-

श्रेणी-1. 2 एवं 3 के ऐसे अतिथि व्याख्याता जिन्हें 03 शैक्षणिक सत्र (न्यूनतम 15 माह) का अध्यापन अनुभव है, वे राज्य के विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की समस्त परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य संपादन कर सकते हैं। जिसका भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा उनके मूल्यांकन हेतु प्रचलित नियमानुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी।

3. न्यायालयीन प्रकरण :-

- 13.1 इस नीति के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की व्यवस्था की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के भविष्य में जारी होने वाले निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।
- 13.2 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जिन अतिथि व्याख्याताओं हेतु स्थगन आदेश जारी किये हैं, ऐसे अतिथि व्याख्याताओं पर इस नीति के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
4. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु अन्य निर्देश :-
- 14.1 इसी नीति के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
- 14.2 अतिथि व्यवस्था अंतर्गत प्रत्येक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु कार्य संपादन कराया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सेमेस्टर पद्धति लागू होने के उपरांत प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत दिए जाने वाले अवकाश अवधि के अनुरूप वर्ष में 01 बार के स्थान पर 02 बार ब्रेक दिये जाने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा।
- 14.3 संस्था प्रमुख का दायित्व होगा कि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य (कंडिका 10.2 एवं कंडिका 10.5 अनुसार) के कार्य पर उपरिथत होने के दिनांक से दैनिक उपरिथति विवरण संघारित करें एवं तदनुसार मानदेय का मासिक देयक तैयार कर प्रति माह भुगतान सुनिश्चित करें।
- 14.4 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में संघारित किया जायेगा। मूल्यांकन परिणाम असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित को संसूचित करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में कार्य में सुधार लाने हेतु चेतावनी जारी की जायेगी।
- 14.5 एक साथ दो संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 14.6 सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 14.7 इस नीति को लागू करने की दृष्टि से भविष्य में नये परिशिष्ट को जोड़ना, पुराने परिशिष्ट में संशोधन अथवा समाप्त करना अथवा वर्तमान प्रस्तावित ऑफलाइन प्रणाली को ऑनलाईन प्रणाली में परिवर्तित करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को होगा।
- 14.8 इस नीति के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी स्तर पर भ्रम अथवा विवाद की स्थिति में निर्देशों की व्याख्या का प्रथम अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को होगा।
- 14.9 आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा दी गई व्याख्या से संतुष्ट न होने की स्थिति में प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार सचिव, उच्च शिक्षा को होगा।
- 14.10 इस नीति के अंतर्गत यदि कोई बिंदु शामिल नहीं हो सके हैं तो भविष्य में इन्हें शामिल करने हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा।